निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DESPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी / A wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India)
www.dicgc.org.in

संदर्भ सं.निबीप्रगानि/जबीवि/ 746 /05.03.01/2008-09 दिनांक: 12 जनवरी, 2009
Ref. No. DICGC/DID/746 /05.03.01/2008-09 Date: January 12, 2009

सभी बीमाकृत बैंक / All Insured Banks

महोदय/महोदया Dear Sir / Madam

जमा बीमा प्रीमियम का भुगतान - सेवा कर

Payment of Deposit Insurance Premium – Service Tax

वर्तमान में सभी बीमाकृत बैंक, छमाही अंतरालों पर 100.00 रु. की प्रत्येक जमा राशि पर 10 पैसे की दर से (अर्थात 0.10 प्रतिशत प्रति वर्ष) निगम को जमा बीमा प्रीमियम का भुगतान करने लिए बाध्य है। हाल ही में, केद्रीय सीमा शुल्क और सेवा कर, बड़ी मात्रा में कर देने वाली यूनिट (एलटीयू) आयोग, मुबंई ने सूचित किया है कि 1 मई 2006 से जमा बीमा प्रीमियम कार्यकलाप के लिए सेवा कर देना होगा। यह मामला उचित प्राधिकरण के पास विचाराधीन है और शीघ्र ही इस मामले पर अंतिम निर्णय होने की संभावना है।

2. यह एक अग्रिम सूचना है कि, यदि जमा बीमा प्रीमियम पर सेवा कर लागू होता है तो, सभी बीमाकृत बैंकों को संबंधित दर से अदा किए जानेवाले प्रीमियम के परे अल्प सूचना पर सेवा कर का भुगतान करना पडेगा।

3. तथापि, इस परिपत्र को प्रीमियम पर सेवा कर भुगतान करने की सूचना ना समझी जाए।

भवदीय,

जे.के. दाश
उप महाप्रबंधक

At present, all the registered insured banks are liable to pay to the Corporation deposit insurance premium at the rate of 10 paise per annum for every deposit of Rs.100 (i.e 0.10 % p.a) at half yearly intervals. Recently, the Commissionerate of Central Excise and Service Tax, LTU, Mumbai have communicated that the deposit insurance activity is liable to Service Tax with effect from May 1, 2006. The matter is under reference to appropriate authorities and a final view in the matter is expected to be taken soon.

2. This is for the advance information of the insured banks that in case Service Tax is made applicable on the deposit insurance premium, all the banks may have to pay service tax, at a short notice, over and above the premium being paid as per the relevant rate.

3. However, this circular should not be construed as an advice to pay service tax on premium.

Yours faithfully,

(J.K.Dash)
Dy. General Manager

भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंज़िल, मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्टेशन के सामने, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400008
टेलिफोन सं.022-23019675 फैक्स: 022-23015662 223018165 ई-मेल: dicgc@rbi.org.in
Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Mumbai Central, Mumbai-400008
Tel.No.022-23019675 Fax: 022-23015662, 23018165 e-mail:dicgc@rbi.org.in
हिन्दी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए